

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

पीतासीन अधिकारी :- नारायणलाल जीनगर, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 147/2023 ग्रा० ए०

1- श्री जैसू-ननाराव ए० बालकृष्णाथ भास्करिका - फिरोजवाड़ा - जिला करेड़ा

प्रार्थी।

बनाम

1- श्री राज-शरण लक्ष्मी उदयनगर जैरा

विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक: 12/5/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जैरा पटवार हल्का जैरा तहसील करेड़ा में उनके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 138 की आ०नं० 3369/162 रकबा 1.2646 /

कुल किता 29/3/23 रकबा 1.2646 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/3/23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरा पटवार हल्का जैरा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 138 की आ०नं० 3369/162 रकबा 1.2646 /

कुल किता 1 रकबा 1.2646 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भूअ.नि० जैरा को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।  
सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
सहायक कलक्टर करेड़ा